संख्या-47/2025/001-126डब्लू-25-27-3099-119-2025

प्रेषक,

सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 21 जुलाई, 2025

विषय:स्पेशल लीव पिटिशन संख्या-17454/2019 मेसर्स प्रभात इंटरप्राइजेज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.03.2025 की अनुपालना हेतु डिक्रीटल मद में धन की मांग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-434/मु0अ0(अनि)/अनिमं-6/यू-3/भारित मद/गंगा, दिनांक 06.06.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मुख्य अभियन्ता (गंगा), मेरठ के अन्तर्गत नहर संचालन मण्डल, मेरठ के नियंत्रणाधीन अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड-प्रथम मेरठ से सम्बन्धित स्पेशल लीव पिटिशन संख्या-17454/2019 मेसर्स प्रभात इंटरप्राइजेज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.03.2025 का अनुपालन किये जाने हेतु डिक्रीटल मद में धनराशि की मांग से सम्बन्धित धनराशि रू0 31,00,225.00 (रूपया इकत्तीस लाख दो सौ पच्चीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अत: मेरठ के अन्तर्गत नहर संचालन मण्डल, मेरठ के नियंत्रणाधीन अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड-प्रथम, मेरठ से सम्बन्धित स्पेशल लीव पिटिशन संख्या-17454/2019 मेसर्स प्रभात इंटरप्राइजेज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.03.2025 को दिये गये निर्णय/आदेश की अनुपालना हेतु डिक्रीटल धनराशि रू0 31,00,225.00 (रूपया इकत्तीस लाख दो सौ पच्चीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व गणनाचक्र की शुद्धता की जांच प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित रूप से कर ली जायेगी। गलत/त्रुटिपूर्ण भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिकारीगण व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 31,00,225.00 (रूपया इकत्तीस लाख दो सौ पच्चीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखाशीर्षक-4700-33-051-10-14-24 भारित मद के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय
सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (पश्चिम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मेरठ।
6- मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मेरठ।
7- अनु सचिव(लेखा)/आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- कोषाधिकारी, मेरठ।
9- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ।
10- अधिशासी अभियन्ता, मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ।
11- सिंचाई अनुभाग-9
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
13- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
चन्द्र भूषण
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।